झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–लातेहार / PMMVY–10 / 2023– 362

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 25.05.2023

विषयः– **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिलने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्रीमती मुनी देवी, ग्राम–कोपे, मनिका, लातेहार का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी द्वारा दिनांक–02.03.2022 को उनकी प्रथम पुत्री के जन्म के उपरान्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत की गई। परिवादी का आरोप है कि उन्हें PMMVY के तहत् मात्र 1400 रू0 का भुगतान हुआ, शेष राशि अप्राप्त रही। प्राप्त परिवाद पर आयोग स्तर से सुनवाई हेतु वाद सं0–09 / 2023 प्रारंभ की गई। उक्त मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक–648 दिनांक–20.04.2023 की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता के PMMVY के लाभ हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में भुगतान की स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है। सुनवाई के क्रम में दिनांक–16.05.2023 को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया गया कि परिवादी का भुगतान निदेशालय स्तर पर लंबित है।

उक्त मामले को आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं दिनांक–16.05.2023 को निम्नवत् अंतिम आदेश पारित किया गया हैः–

''प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग से पत्राचार कर इस गम्भीर विषय से उन्हें अवगत कराएँ और राज्य भर के ऐसे लाभुकों जिनका भुगतान लंबित है, उन्हें तत्काल भुगतान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं अब तक पूरे राज्य में कितने ऐसे लाभुकों का भुगतान लंबित है, इसकी सूचना भेजें। यदि भुगतान लंबित होने में किसी कर्मचारी, पदाधिकारी या अधिकारी की लापरवाही है, तो चिचन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाय।''

अतः अनुरोध है कि आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

25/5/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\jharf\Dropbox\Ziyaul\letters.docx1